


27⁶/₁₈

पन्नावली आज उच्च कोर्ट जहाज में पेश की
पुकरण के संबंधित कास पत्र में जायजिर डिप्टी
जारी हो चुकी है तथा विभाजन प्रस्ताव आज
वकीली लेफ्टि विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप बन्धित
डिप्टी पारित होने तक अस्थायी निचेधारिता आदेश
पुन्नावली रहेगा। उक्त पत्रकारों के मध्य अनावश्यक
विवाद व पुकरण बर्जा न ही करें। (विभाजन प्रस्ताव
के 11 धर्माधिकार उदयपुरवादी स्वतंत्र रहेगा।)

पन्नावली केसल मुक्त होकर नम्बर 11 का
तथा कार्यालय बनारस हो


उदयपुरवादी
उदयपुरवादी